अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 60/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

श्रीमती धनवन्ती शर्मा पत्नी स्व. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा निवासी मकान नम्बर 264 ए, डब्लू एच ओ कालोनी, अम्बाबाडी, जयपुर हाल निवासी बी–803, रूहीन टावर, अपोजिट स्टार बाजार, सेटेलाईट अहमदाबाद, गुजरात ।

अपीलार्थी

बनाम

1. सुरेश शर्मा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा
2. श्रीमती रश्मि शर्मा पत्नी सुरेश शर्मा
3. सुनील शर्मा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा
   निवासी मकान नम्बर 264 ए, डब्लू एच ओ कालोनी, अम्बाबाडी ,जयपुर, राजस्थान।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 03.10.2023 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर के प्रकरण संख्या 03/2023 ब उनवानी श्रीमती धनवन्ती शर्मा बनाम सुरेश शर्मा

उपस्थितः–

1. अपीलान्ट के प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 व 3 के प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय **दिनांक 12.02.2024**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर के प्रकरण संख्या 03/2023 ब उनवानी श्रीमती धनवन्ती शर्मा बनाम सुरेश शर्मा में पारित निर्णय दिनांक 03.10.2023 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थीस संख्या 1, 2 व 3 मय प्रतिनिधि उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी की ओर से अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 01 अपीलार्थी का पुत्र है एवं प्रत्यर्थी संख्या 02 प्रत्यर्थी संख्या 1 की विवाहिता धर्मपत्नी है जो अपीलार्थी

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपु

Scanned with OKEN Scanner

की पुत्रवधु है । इस प्रकार अपीलार्थी, प्रत्यर्थीगण की अभिभावक है जो अत्यधिक वृद्ध एवं वरिष्ठ नागरिक है। अवसार वृद्धावस्था के चलते विभिन्न रोगों जैसे की आंखों से कम दिखना, रक्तचाप, मानसिक अवसाद आदि से ग्रसित है तथा चलने फिरने में पूर्णतया सक्षम नहीं है। अपीलार्थी अपने स्वर्गीय पति की पेंशन से अपना गुजार बसर करती है। अपीलार्थी के पति आर्मी में कर्नल के पद पर कार्यरत थे, उनकी मृत्यु वर्ष 2003 मई के महिने में कैन्सर से ग्रसित होने के कारण हो गई। मृत्यु से पहले ही अपीलार्थिया के पति ने एक वसीयत बनाई जिसमें स्वयं की कमाई हुई समस्त चल व अचल सम्पतियां अपनी पत्नी जो उनवानी मुकदमें में अपीलार्थी है, के नाम कर दी। अपीलार्थिया के पति की मृत्यु के पश्चात अपीलार्थिया ने अपने स्वर्गीय पति कि पी एफ, ग्रच्युएटी एवं जिन्दगी भर के बचत के पैसो से मार्च 2004 में एक घर मकान नम्बर 264 ए डब्लू एच ओ कालोनी, अम्बाबाडी, जयपुर स्थित अपने नाम से खरीद कर रजिस्ट्री करवा ली। मार्च 2018 में अपीलार्थिया की पुत्री अपीलार्थिया को प्रत्यर्थीगण द्वारा उसके घर से मजबूरन निकाले जाने पर अपने साथ अहमदाबाद ले गई तब से अपीलार्थिया खुद के घर से बेघर होकर अपनी पुत्री के साथ अहमदाबाद में रहने को मजबूर है। अपीलार्थी एवं उसकी पुत्री के बार बार आग्रह करने पर भी प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलार्थिया को उसी के घर में रहने से वंचित रखा गया एवं प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थिया का अम्बाबाडी जयपुर स्थित मकान खाली करने से साफ इन्कार कर दिया। दिनांक 24 जुलाई 2018 को अपीलार्थिया ने दैनिक भास्कर में एक सार्वजनिक सूचना के द्वारा अपने पुत्र व पुत्रवधु जो कि उनवानी मुकदमें में प्रत्यर्थीगण है, को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया। उक्त बेदखली के पश्चात भी प्रत्यर्थीण ने अपीलार्थिया का मकान खाली करने से इन्कार कर दिया। अपीलार्थिया द्वारा कतिपय परिस्थितियों मे कब्जे के अन्तरण के शून्य घोषित करने का परिवाद अन्तर्गत धारा 23 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 का प्रस्तुत किया । उक्त प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 को वर्ष 2010 में किया गया अन्तरण शून्य घोषित किया जाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को पाबन्द किया जावे कि वह अपीलार्थिया के साथ किसी प्रकार की गाली गलौच या मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न नहीं करे। अपीलार्थिया के नाम रजिस्टर्ड मकान के कपट पूर्वक लिये गये कब्जे के अन्तरण को शून्य घोषित कर प्रत्यर्थीगण को मकान खाली करने का आदेश दिया जावे। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में एक वाद माननीय अपर जिला न्यायाधीश क्रम सख्या 6 जयपुर महानगर द्वितीय के समक्ष उक्त सम्पत्ति में 85 प्रतिशत हिस्सेदारी स्वयं की बताते हुए सम्पत्ति के स्वंय के नाम से उदघोषणा विभाजन एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया, जो आदेश दिनांक 06.08.2021 को खारिज फरमा दिया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच के समक्ष अपील प्रस्तुत की लेकिन उस अपील में अधीनस्थ अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर प्रथम के समक्ष विचाराधीन भरण पोषण याचिका की सुनवाई पर कोई स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया गया तथा स्पष्ट किया गया कि उक्त अपील या स्थगन प्रार्थना पत्र में पारित आदेश भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम में चल रही कार्यवाही एवं उसमें पारित अन्तिम आदेश की पालना में आड़े नहीं आयेगी। अधीनस्थ अधिकरण ने एक अन्तरिम आदेश दिनांक 08.03.2019 के जरिये यह आदेश किया था कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 एक माह मे मकान खाली कर मकान का कब्जा अपीलार्थिया को सौपें। उक्त आदेश के विरूद्व प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

याचिका एस बी सी डब्लू 6089/2019 प्रस्तुत की थी। उक्त रिट याचिका को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज फरमा दिया गया एवं आदेशित किया गया कि अपीलार्थिया को बाईज्जत मकान खाली कर कब्जा सौंपा जावे। उक्त याचिका के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा डीबी एस एडब्लू 548/2022 गुणावगुण पर नहीं देखते हुये केवल इस प्रारम्भिक आधार पर कि उक्त निर्णय द्वारा यह अनुतोष दिया गया है जो कि मूल परिवाद की पूर्ण सुनवाई पर ही दिया जा सकता है। उक्त आदेश को अपास्त कर अधीनस्थ अधिकरण को परिवाद की सुनवाई शीघ्रताशीघ्र एवं अधिकतम 3 माह में पूर्ण करने के आदेश दिनांक 07.05.2022 को दिये गये । तत्पश्चात अधीनस्थ अधिकरण द्वारा दिनांक 12.09.2022 को उक्त प्रकरण में निर्णय पारित किया गया कि प्रकरण के कब्जे का अन्तरण किसी दस्तावेज से प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को सिद्व नहीं होता है। अपीलार्थिया विद्याद्यर नगर स्थित मकान में रहने के लिए स्वतंत्र है। प्रत्यर्थीगण अपीलार्थिया के विद्याद्यर नगर स्थित मकान में रहने व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करेंगे ना ही अपीलार्थिया के साथ किसी प्रकार की मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न एवं गाली गलौच करेंगे। अपीलार्थिया को अपने स्वर्गीय पति द्वारा उत्तराधिकार में दी गई वस्तुओं के उपयोग उपभोग में कोई व्यवधान कारित नहीं करेंगे। उक्त अलौच्य आदेश 12.09.2022 के विरूद्व अपीलार्थिया द्वारा मान्य अपीलीय अधिकरण में एक अपील 23/2022 ब उनवानी धनवन्ती शर्मा बनाम सुरेश शर्मा व अन्य पेश की गई जिसमें मान्य अपीलीय अधिकरण द्वारा 27.12.2022 को उक्त अपील स्वीकार करते हुये यह संदर्भित किया गया कि कब्जे का अन्तरण मौखिक भी सम्भव है। अधीनस्थ अधिकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर उक्त विवेचनानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करे। जिसके उपरान्त भी अधीनस्थ अधिकरण द्वारा वर्तमान आलौच्य आदेश पारित किया गया जो कि विधिक प्रावधानों की गलत समझ एवं बिना सही रूप से तथ्यात्मक अवलोकन किये पारित किया गया है। अपीलार्थिया द्वारा भरण पोषण के लिए परिवाद अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष नहीं लाई अपितु अपने मकान से प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को बेदखल करने हेतु प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ अधिकरण द्वारा प्रकरण भरण पोषण का प्रतीत ना होकर सम्पत्ति का विवाद के निस्तारण का क्षेत्राधिकार नहीं मानते हुये परिवाद खारिज कर दिया । अपने कथनों के समर्थन में कुछ न्यायिक दृष्टान्त–Sandeep Gulati v/s Divisional Commissioner Govt of NCT of Delhi and Ors W.P. © 2761/2020, W.P.(C) 2795/2020, AIR 2020 Raj 27, 202 (1) HLR 72, 2020(2) RLW 1522 (Raj) . 2019(201)AIC 395, 2020 (208) AIC 398 अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अतः न्यायिक दृष्टान्तों के आधार पर एक्ट की मन्शा के अनुरूप वरिष्ठ नागरिकों की सम्पति की सुरक्षा के लिए बेदखली का आदेश दिया जाना कानूनन आवश्यकीय है फिर भी अधीनस्थअ धिकरण द्वारा अपीलार्थिया द्वारा चाहा गया अनुतोष खारिज कर दिया । अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अपीलार्थी द्वारा इस अधिनियम के पश्चात एवं पहले अपनी स्वयं अर्जित सम्पत्ति मे से कोई सम्पत्ति प्रत्यर्थीगण को हस्तान्तरित नहीं की है जिससे अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज किये जाने योग्य है। विवादित मकान 10,00,000/–रूपये में खरीदा गया था। जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा 8,50,000/–रूपये का भुगतान किया गया शेष राशि अपीलार्थिया द्वारा दी गई । प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा कोर्ट मैरिज की गई थी। उस वक्त प्रत्यर्थी सीतापुरा जयपुर स्थित प्राईवेट कम्पनी में नौकरी करता था जो कि प्रत्यर्थी के निवास स्थान से दूर होने के कारण सीतापुरा मे फ्लैट किराये पर लेकर रहने लग गया था। अपने अम्बाबाडी स्थित मकान पर

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

आते जाते रहते थे। वर्ष 2007 में प्रत्यर्थी के छोटे भाई की शादी में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 सम्मलित हुये थे एवं वर्ष 2008 में प्रत्यर्थी संख्या 1 की बहिन सुदेश शर्मा का विवाह जयपुर निवासी गोविन्द शर्मा से हुआ। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 रिश्तेदारों के साथ विवाह में सम्मलित हुये । वर्ष 2008 में प्रत्यर्थी की नौकरी जैतपुरा में लग जाने के कारण प्रत्यर्थीगण विद्याधर नगर फ्लेट में शिफ्ट हो गये क्योंकि उक्त समय विवादित मकान में मात्र दो कमरे थे। प्रत्यर्थी के छोटे भाई की शादी के पश्चात सम्पूर्ण परिवार का एक साथ रहना सम्भव नहीं था। कुछ समय पश्चात अपीलार्थिया एवं प्रत्यर्थी ने घर के नवीनीकरण का फैसला लिया । चूंकि प्रत्यर्थी संख्या एक के द्वारा उक्त मकान के पेटे 8,50,000/–रूपये का भुगतान किया गया था। इसलिये अपीलार्थिया व प्रत्यर्थी के मध्य यह तय हुआ कि मकान का नवीनीकरण कर दो मंजिला बनाया जायेगा। प्रत्यर्थीगण प्रथम तल पर शिफ्ट होगे एवं भू तल पर अपीलार्थिया निवास करेगीं । अपीलार्थिया एवं प्रत्यर्थीगण के मध्य सम्बन्धों में कोई परेशानी नहीं है । प्रत्यर्थीगण अपीलार्थिया के साथ एक पोर्शन में निवास करते थे। वर्ष 2010 में अपीलार्थिया गम्भीर पेचिस व डेगू बुखार से पीडित थी। इस दौरान अपीलार्थिया को चिकित्सक सलाह के अनुसार खाना दिया जाता था एवं घर पर ही डाक्टर एवं नर्स के नियमित दौरे की व्यवस्था कर दी । अपीलार्थिया के पास इ सी एच एस कार्ड है जिसके तहत पूरे भारत वर्ष में कहीं पर भी फ्री ईलाज करवा सकती है। वर्ष 2017 में अपीलार्थी की पुत्री का स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण एक माह तक जयपुर रही एवं तबीयत में सुधार नही होने के कारण यह तय हुआ कि अपीलार्थिया व अपीलार्थिया की भाभी प्रेम देवी अपीलार्थिया की पुत्री की देखभाल हेतु स्वयं अपनी इच्छा से अहमदाबाद जायेंगे एवं वहॉ जाने के बाद अपीलार्थी की पुत्री गर्भवती होने के कारण अपीलार्थिया अपने स्वयं की इच्छा से अहमदाबाद में रही और वर्तमान में भी अपनी स्वं की इच्छा से अहमदाबाद में निवास कर रही है। दिनांक 12.11.2018 को परिवादिया अपनी पुत्री के साथ रिटर्न टिकिट के साथ जयपुर आये थे इस दौरान अपीलार्थिया की पुत्री प्रत्यर्थीगण के साथ अभद्र व्यवहार करने लग गई । प्रत्यर्थीगण को घर खाली करने हेतु कहा, जब प्रत्यर्थीगण ने घर खाली करने से मना कर दिया तो अपीलार्थिया विद्याधर नगर थाने में चली गई। प्रत्यर्थीगण के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा कर अहमदाबाद वापिस चले गये। पुलिस ने उक्त शिकायत के संबंध में अपीलार्थिया एवं उसकी पुत्री को साक्ष्य हेतु बुलाया गया तो उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया, बाद में पुलिस ने झूंठी शिकायत पाई गई । उक्त मकान प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी स्वयं की आय से खरीदा था, किन्तु संयुक्त परिवार की भावना होने के कारण उक्त मकान की रजिस्ट्री प्रत्यर्थी संख्या एक ने अपनी माता धनवन्ती शर्मा के नाम करवा दी । इस दौरान प्रत्यर्थी को पता चला कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के भाई एवं बहिन द्वारा साजिश रच कर भिवानी स्थित मकान का बेचान कर दिया गया और उससे प्राप्त राशि को तीनों ने आपस में बांट लिया। प्रत्यर्थी को उसके हिस्से से वंचित रखा और प्रत्यर्थी एक के भोलेपन का फायदा उठा कर प्रत्यर्थी संख्या एक से अपने स्वामित्व के आफिस का 50 प्रतिशत हिस्सा वर्ष 2016 में सुनील के नाम करवा दिया । अब अपीलार्थियां व उसके पुत्र सुनील शर्मा एवं पुत्री सुदेश शर्मा विवादित मकान का बेचान करना चाहते है। प्रत्यर्थी व उसके परिवार को घर से निकालना चाहते है। अपने हितो की रक्षा हेतु प्रत्यर्थी संख्या एक ने माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर महानगर जयपुर के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अपीलार्थिया के विरूद्व प्रस्तुत किया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.11.2019 स्वीकार किया जाकर यथा स्थिति के आदेश दिये है। उक्त वाद में अपीलार्थिया ने माना कि उक्त सम्पत्ति के लिए अप्रार्थी द्वारा ही भुगतान किया गया था एवं रजिस्ट्री अपीलार्थिया के नाम से की गई थी। जिससे यह सम्पत्ति बेनामी सम्पत्ति के अन्तर्गत आने से वाद चलने योग्य नहीं है। माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 06.08.2021 से उक्त प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के विरूद्व स्वीकार फरमाया गया । उक्त आदेश के विरूद्व प्रत्यर्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर सिविल प्रथम अपील 305/2021 प्रस्तुत की जिससे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2022 को प्रत्यर्थी के पक्ष मे स्थगन आदेश पारित किया। उक्त सम्पत्ति के

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

मालिकाना हक संबंधित आदेश प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद मे सही तथ्य होने है। अत: अपीलार्थिया द्वारा उक्त विवादित सम्पत्ति को स्व अअर्जित आय से खरीदा हुआ बताना गलत है। प्रत्यर्थी के दो बच्चे है एवं प्रत्यर्थी संख्या एक घर में एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति है। प्रत्यर्थी की उम्र 50 वर्ष के करीब हो गई है और वह हाई कालेस्ट्रोल एवं हाई बीपी से पीड़ित है और अपीलार्थिया, उसकी पुत्री एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को दुभार्वना पूर्ण एवं खुद के निजी स्वार्थ के लिए घर से निकालना चाहते है। उक्त मकान में अपीलार्थिया के लिए रहवास के लिए आवश्यक सुविधा है । अपीलार्थिया आज भी अप्रार्थीगण के साथ निवास कर सकती है। तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय उनवानी सुरेश छिकारा बनाम रामती देवी व अन्य सिविल अपील नम्बर 174/2021, माननीय उच्च न्यायालय मद्रास डब्लू पी नम्बर 326/50/2022 उनवानी एस. सेल्वाराज सिम्पसन बनाम जिला कलक्टर व अन्य, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील नम्बर 2822/2020 श्रीमती एस विनथा बनाम डिप्टी कमीश्नर, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एसबी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 1936/2022 विनोद शर्मा बनाम श्रीमती शान्ती देवी व अन्य एवं माननीय राजस्था उच्च न्यायालय जयपुर एस बी सिविल फस्ट अपील सनम्बर 305/2021 उनवानी सुरेश मर्श बनाम श्रीमती धनवन्ती देवी व अन्य अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अपीलार्थिया के कथनों का समर्थन करते हुये अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

7. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

8. अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर मकान नम्बर मकान नम्बर 264, ए डब्लू एचओ कालोनी अम्बाबाडी, जयपुर से प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को बेदखल करने का अनुतोष चाहा है। अधिनियम में वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति की सुरक्षा किये जाने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 23 यह उपबन्ध करती है कि जहां किसी वरिष्ठ नागरिक ने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिती ऐसी सुविधाओं और शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से इन्कार करता है या असफल रहता है, वहां सम्पत्ति इस प्रकार उक्त अन्तरण कपट या प्रपीड़न द्वारा या असम्यक असर के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक की वांछा पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जावेगा। धारा 23 में दान द्वारा या अन्यथा (Otherwise) सम्पत्ति का अन्तरण किया जाना शामिल है। जिसमें लिखित व मौखिक अन्तरण भी हो सकता है। इस सम्बध में समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में बेदखली बाबत निर्णय पारित किये गये है। इसलिए अपीलार्थीगण का यह अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित पाते है। प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। फलस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।

9. अपीलार्थिया के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नम्बर 264,ए डब्लू एच ओ कालोनी अम्बाबाडी जयपुर से प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को बेदखल किये जाने का आदेश दिया जाता है। अपीलार्थिया के उक्त मकान में रहने में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। अपीलार्थीगण के साथ सद्व्यवहार करने व किसी प्रकार से गाली गलौच नहीं करने हेतु प्रत्यर्थीगण 1 व 2 को पाबन्द किया जाता है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

10. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक **12.02.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner